

निबंधित

संचिका संख्या-03/स्था0-(ए0सी0पी0)-11-59/2009

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक, गोरखनाथ (भा0प्र0से0),
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
(मुख्य अभियंता, याँत्रिक, पटना को छोड़कर)
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- क्षेत्र सहायकों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत दिये जाने वाले वेतनमान के संबंध में।

प्रसंग:- वि0 पत्रांक-248 दिनांक-07.02.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-727 दिनांक-28.05.2010 के द्वारा क्षेत्र सहायक को शोध सहायक के वेतनमान में ए0सी0पी देने का निदेश दिया गया था जो नियमानुकूल नहीं रहने के कारण प्रासंगिक विभागीय पत्रांक-2151 दिनांक-08.11.2019 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विभागीय पत्रांक-2151 दिनांक-08.11.2019 के आलोक में कृत कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। परन्तु आजतक वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है। यह मामला पूर्णतः वित्तीय हानि से संबंधित है, इसलिए इस मामले में कार्रवाई कर यथाशीघ्र संसूचित करना आवश्यक है।

2. अतः स्मारित करते हुए कहना है कि एक सप्ताह के अन्दर कृत कार्रवाई से अवगत कराना सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(गोरखनाथ)

अपर सचिव

ज्ञापांक-03/स्था0-(ए0सी0पी0)-11-59/2009

435

पटना, दिनांक- 16.3.2020

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/3/2020

(गोरखनाथ)

अपर सचिव